मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

Photo By Anup
9893090266

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	भाग – एक	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना	1
1.3	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	3
	भाग – दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	4
2.2	जेण्डर रिस्पोंसिव बजट का क्रियान्वयन	4
	भाग – तीन	
3.1	केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं	5
3.2	आदिवासी उपयोजना	9
3.3	आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य	11
3.4	अनुसूचित जाति उपयोजना	12
3.5	स्थापित हैण्डपम्प एवं नलजल योजनाएं	13
3.6	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी	15
3.7	लोक सेवा गारंटी	16
3.8	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	16
3.9	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	16
3.10	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	19
3.11	राज्य जल सहायता संगठन	22
3.12	प्रशिक्षण कार्यक्रम	30
3.13	विभागीय कम्प्यूटरीकरण	30
3.14	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	33
	भाग – चार	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	34
4.2	सूचना का अधिकार	35
4.3	वर्ष 2018 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	36
	भाग– पाँच	
5.1	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	37
5.2	मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन	37
5.3	स्वजल कार्यक्रम	38
5.4	मुख्यमंत्री हेल्प लाइन	39
	भाग – छः	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	40
	भाग – सात	
7.1	सारांश	40
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	41

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19

मंत्री
माननीय श्री सुखदेव पांसे

मंत्रालय

●	**प्रमुख सचिव**	▸	**श्री संजय कुमार शुक्ल (आई.ए.एस.)**
●	उप सचिव (स्थापना)	▸	श्री सुभाष कुमार द्विवेदी (रा.प्र.से.)
●	उप सचिव (तकनीकी)	▸	श्री राजेश शाक्यवार
●	अवर सचिव (स्थापना)	▸	श्री एस. के. सेन्द्रे
●	अवर सचिव (तकनीकी)	▸	श्री एन. के. वैद्य

विभागाध्यक्ष

●	**प्रमुख अभियंता**	▸	**श्री सी. एस. संकुले**
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▸	श्री के. के. सोनगरिया
●	संचालक (जल सहायता संगठन)	▸	श्री विजय सिंह सोलंकी
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▸	श्री ए. के. जैन
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▸	श्री दीपक रत्नावत
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▸	श्री एस. के. अंधवान
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▸	श्री एच. एस. गोंड
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▸	श्री अशोक बघेल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

●	**प्रबंध संचालक**	▸	**श्री संजय कुमार शुक्ल (आई.ए.एस.)**
●	परियोजना निदेशक	▸	श्री बी. एम. सोनी

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति/मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

1.2 विभागीय संरचना :–

- **शासन स्तरीय :–**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय में वर्तमान में प्रमुख सचिव तथा उनके अधीन तकनीकी एवं स्थापना शाखा में एक–एक उप सचिव तथा अवर सचिव कार्यरत हैं।

- **विभाग स्तरीय :–**

  विभाग में विभिन्न स्तर के अभियंताओं के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

• प्रमुख अभियंता	–	01 पद
• प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	–	01 पद
• मुख्य अभियन्ता (सिविल)	–	04 पद
• संचालक (जल सहायता संगठन)	–	01 पद
• मुख्य अभियन्ता (वि./यां.)	–	01 पद
• अधीक्षण यन्त्री (सिविल)	–	24 पद
• अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.)	–	05 पद
• कार्यपालन यन्त्री (सिविल)	–	74 पद
• कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.)	–	11 पद
• सहायक यन्त्री (सिविल)	–	241 पद
• सहायक यन्त्री (वि./यां.)	–	62 पद
• उपयन्त्री (सिविल)	–	974 पद
• उपयन्त्री (वि./यां.)	–	263 पद

➢ प्रदेश में विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थिति

- **कार्यालय प्रमुख अभियंता :–**

  कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल में स्थित है जिसमें विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसी कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता (सलाहकार) तथा संचालक (मुख्य अभियंता स्तर), जल सहायता संगठन का एक–एक पद स्वीकृत है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय :–**

  विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक

विद्युत/यांत्रिकी कार्यों से संबंधित है। मुख्य अभियंता परिक्षेत्र कार्यालय के प्रमुख हैं। सिविल परिक्षेत्र कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर तथा विद्युत/यांत्रिकी परिक्षेत्र कार्यालय भोपाल में स्थित हैं। परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग सम्मिलित है। सिविल संकाय के मुख्य अभियंताओं द्वारा नलकूप खनन सहित अन्य सिविल कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। विद्युत यांत्रिकी संकाय के मुख्य अभियंता द्वारा प्रदेश में समस्त विभागीय ड्रिलिंग मशीनों से नलकूप खनन तथा मशीनों के रखरखाव के कार्य किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :–**

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभाग मुख्यालय सहित 13 स्थानों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा में मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं। इन मण्डल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

- **खंड कार्यालय :–**

प्रदेश के सभी 52 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 07 विद्युत यांत्रिकी खण्ड क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 04 परियोजना खण्ड, 07 संधारण खण्ड, एवं 01 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में सिविल संकाय के 204 एवं विद्युत यांत्रिकी संकाय के 47 उपखण्ड कार्यालय स्थापित है। प्रत्येक उपखंड कार्यालय के प्रमुख सहायक यंत्री है।

➢ जल परीक्षण प्रयोगशाला :–

विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु विभिन्न स्तर पर स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालायें निम्नानुसार है :–

राज्य स्तर :– प्रदेश में राज्य स्तर पर एक एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख मुख्य रसायनज्ञ है। यह प्रयोगशाला गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत् है।

जिला स्तर :– प्रदेश में 51 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख रसायनज्ञ है तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

उपखण्ड स्तर :– प्रदेश में 104 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है। प्रयोगशाला के

प्रमुख रसायनज्ञ हैं तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित उपखण्ड के सहायक यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

1.3 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उद्देश्य एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में राज्य शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन।
2. हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण का कार्य।
3. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण।
6. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
7. नगरीय निकायों सहित अन्य संस्थानों द्वारा चाहे जाने पर जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई सोलरपंप आधारित पेयजल योजना से जल प्रदाय व्यवस्था ग्राम–ज्ञानपुरा, विकासखण्ड–नालछा, जिला धार

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :–

विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंर्तगत प्रावधानित राशि एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :– (रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण		वित्तीय वर्ष					
			2016–17		2017–18		2018–19	
			प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	1107.89	414.77	334.16	304.92	550.44	546.77
		जल निगम	-	-	-	15.75	-	0.07
		योग	1107.89	414.77	334.16	320.67	550.44	546.84
2.	राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	31.80	27.04	900.00	589.32	536.26	446.95
		जल निगम	1051.00	379.61	1658.87	1051.14	1324.70	1050.44
		योग	1082.80	406.65	2558.87	1640.46	1860.96	1497.39
3.	अन्य कार्यक्रम / मद	विभाग	-	-	816.28	611.91	1380.83	1094.83
		जल निगम	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	816.28	611.91	1380.83	1094.83
		महायोग	2190.69	821.42	3709.31	2573.04	3792.23	3139.06

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 50:50 (केन्द्रांशःराज्यांश) के अनुपात में होता है, जबकि राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है।

2.2 "जेण्डर रिस्पोंसिव" बजट का क्रियान्वयन :–

वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में जेण्डर समानता की समीक्षा एवं निगरानी हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर "जेण्डर बजटिंग सेल" का गठन किया है। विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इस संबंध में सेल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

3. भाग – तीन

3.1 केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं :–

विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशा के अनुरूप ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश : राज्यांश) निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय के आच्छादन को बढ़ाया जा सके।

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के तारतम्य में बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 300 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊॅचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :–

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति में कुल 128231 बसाहटों में से 113719 बसाहटें पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 14512 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में है। पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा इससे अधिक के मापदण्ड तथा आंशिक पूर्ण श्रेणी

में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक के मान से पेयजल प्रदाय वाली बसाहटों को रखा जाता है। आंशिक पूर्ण बसाहटों में जल गुणवत्ता से प्रभावित 153 बसाहटें भी सम्मिलित हैं। शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार सतही स्त्रोत आधारित समूह नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

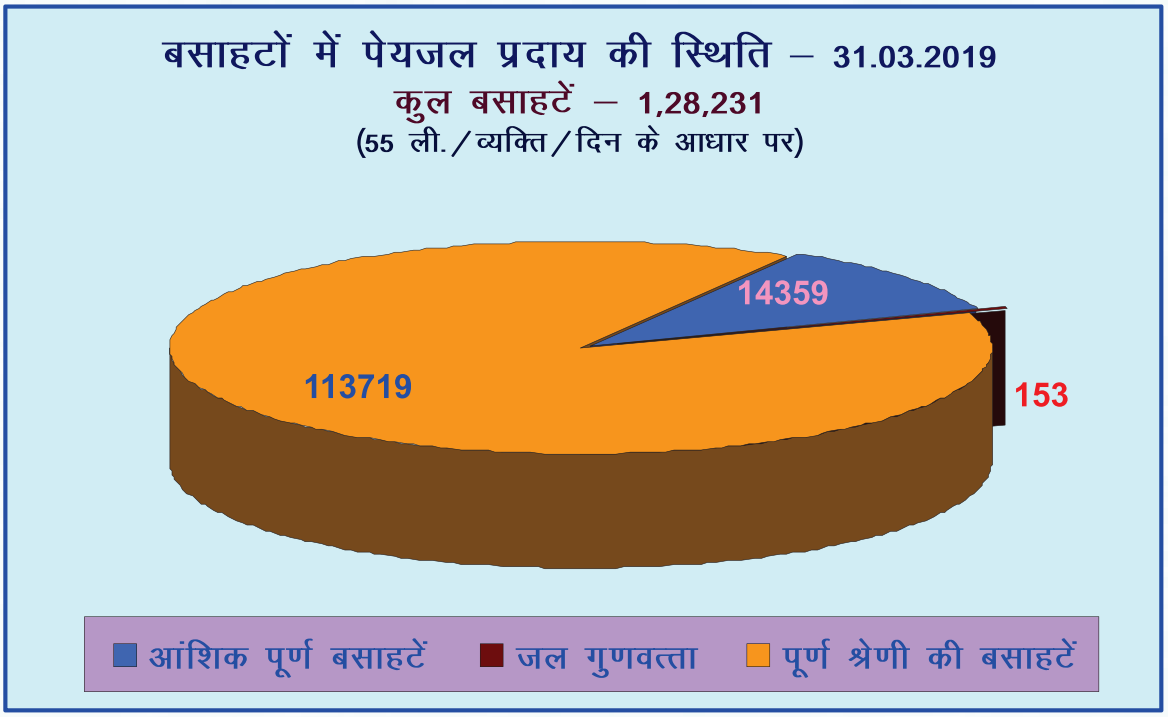

- **हैण्डपंप योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

  राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 8000 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कुल 7308 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है।

- **नलजल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

  वर्ष 2018–19 में नलजल योजनाओं के माध्यम से कुल 957 बसाहटों को नलजल योजनाओं के माध्यम से आच्छादित किया गया है। पूर्ण की गई अधिकांश नलजल योजनाओं से घरेलू नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

  वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान पूर्ण की गई बसाहटों में पेयजल व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार ग्राफ चार्ट में दर्शाया गया हैं :–

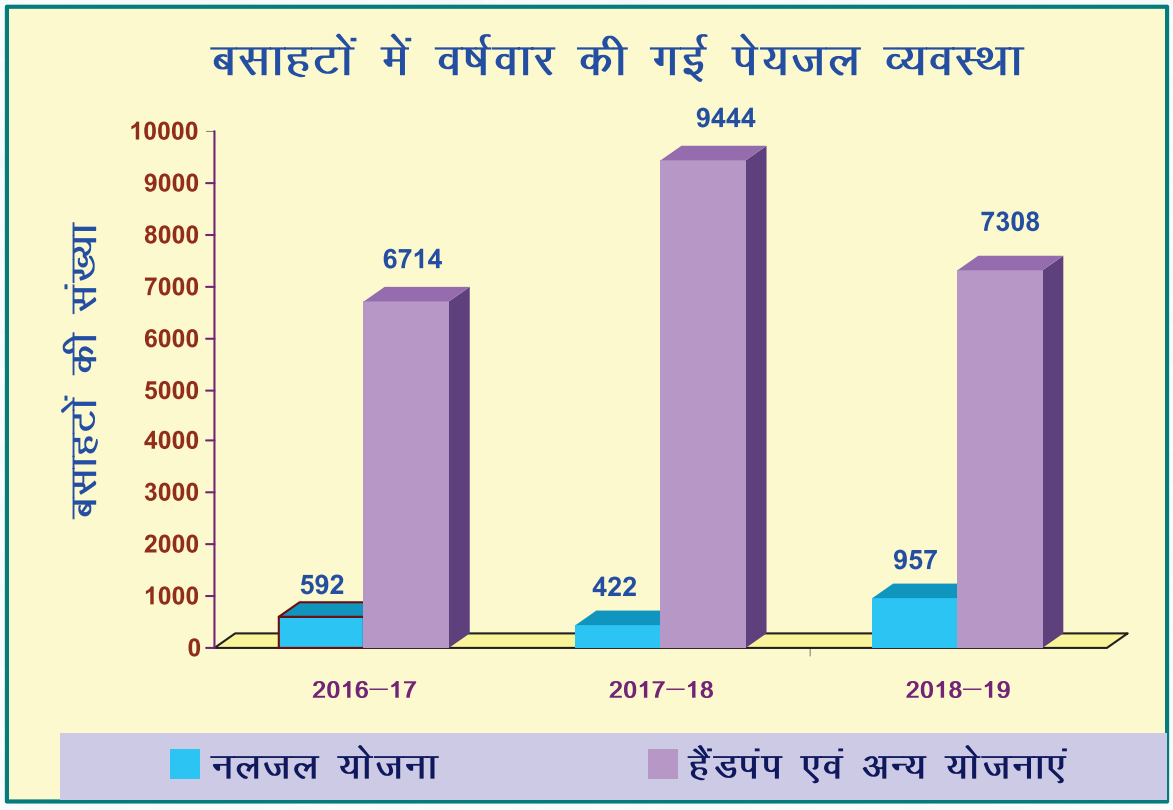

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित उच्चस्तरीय टंकी 175 कि.ली. क्षमता 12 मी. उंचाई सम्पवेल 30 कि.ली.– ग्राम मंगरोला, विकाखण्ड शुजालपुर

3.1.4 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें प्रमुख रूप से फ्लोराईड तत्व हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

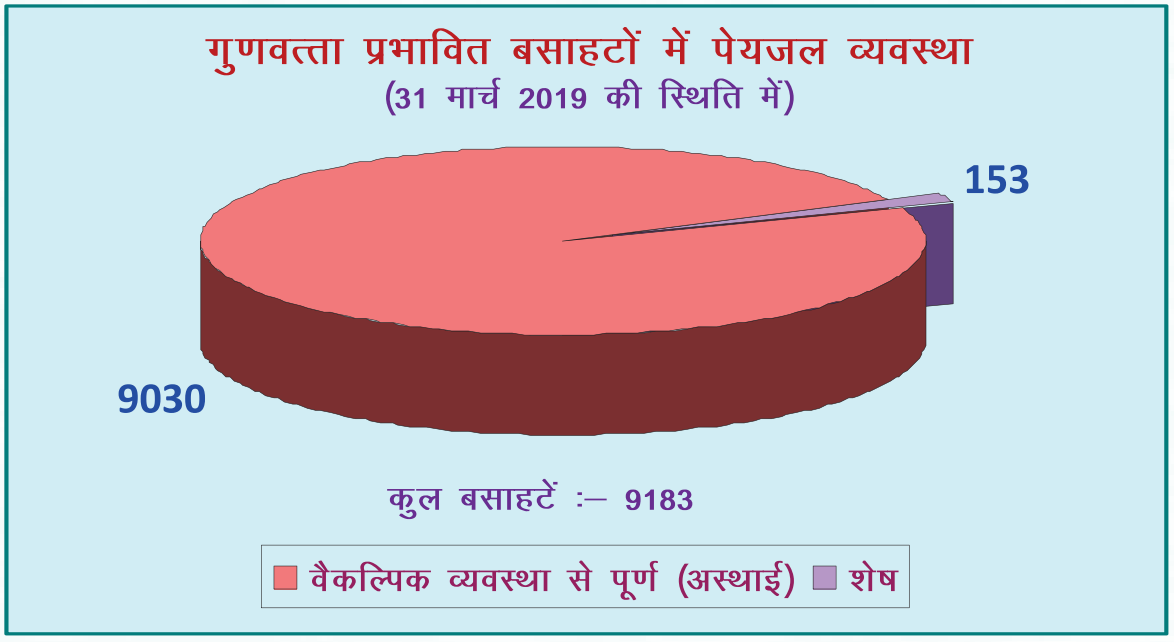

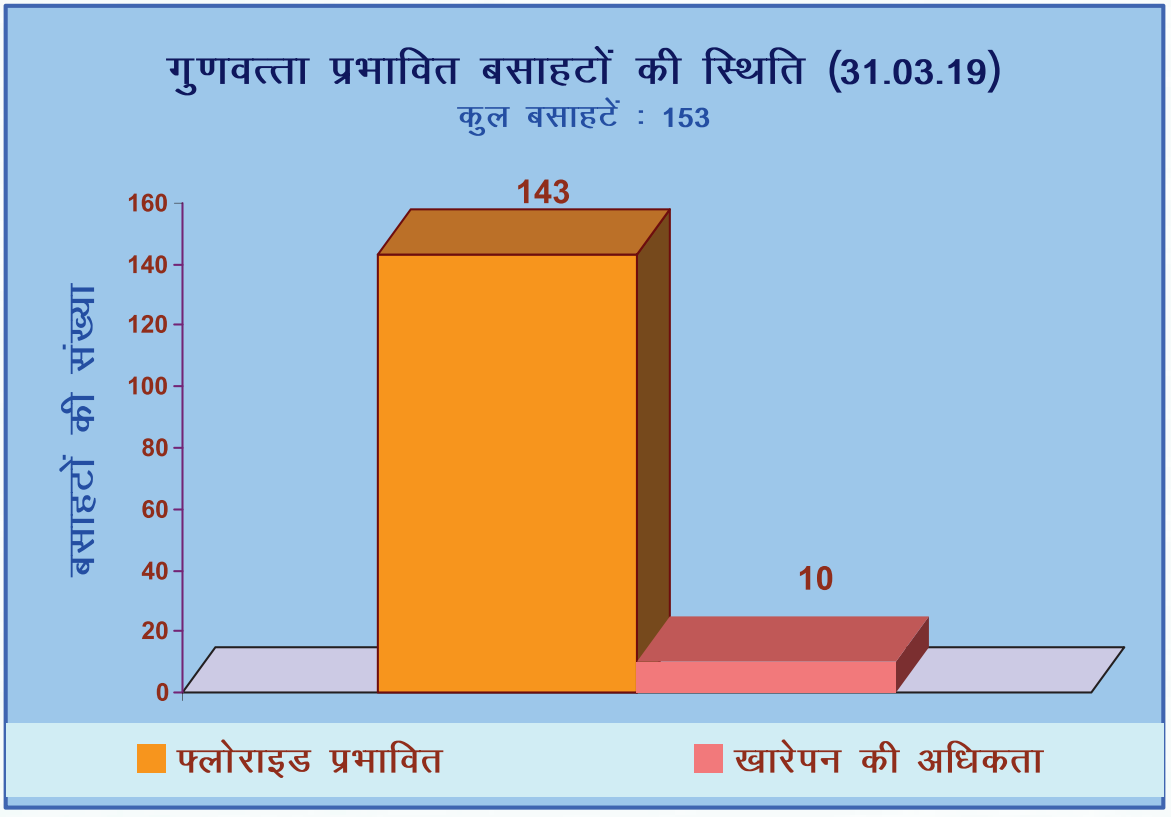

प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित कुल चिन्हित 9183 बसाहटों में से 9030 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल माह मार्च 2019 तक उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में शेष 164 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 11 बसाहटों में वैकल्पिक

पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में शेष 153 बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य प्रगति पर है।

3.1.5 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में जल प्रदाय :–

प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होने पर कार्य कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निक्षेप मद में उपलब्ध करायी गई राशि से 1699 नलकूप खनित कर शालाओं में पेयजल व्यवस्था की गई है।

3.1.6 भू जल संवर्धन एवं स्रोत स्थायित्व कार्यो की प्रगति :–

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 3743 नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग / नलकूपों की सफाई के कार्य पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु किये गये है।

3.1.7 हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2018–19 के दौरान 7343 पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर नये प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

3.1.8 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करना :–

यद्यपि ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन–संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने पर नवीन सफल स्त्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1652 योजनाओं में नवीन सफल स्त्रोत विकसित कर एवं 1615 अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं, इस प्रकार कुल 3267 बंद नलजल योजनाओं को पुनः चालू किया गया है।

3.1.9 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :–

दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च 2019 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 262 घोषणाओं के विरुद्ध कुल 143 घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 69 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत् एवं 50 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2018–19 में कुल 3148 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये है।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यक्रम	2016–17	2017–18	2018–19
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	1900	3661	2723
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	130	154	414
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	164	08	11
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	264	277	–
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	195	232	–

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1	ग्रामीण क्षेत्र	25734.99	23749.23	44303.07
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	340.00	0.00
	योग	**25734.99**	**24089.23**	**44303.07**

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलरपंप आधारित नलजल प्रदाय योजना से घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय– आदिवासी बाहुल्य ग्राम सावंगी, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी

3.3 आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्यः—

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद में राशि उपलब्ध कराये जाने की सहमति दिये जाने के उपरांत विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 150—250 जनसंख्या वाली बसाहटों में सिंगल फेस मोटर पंप आधारित लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018—19 के अंत में 400 योजनाओं के कार्य प्रारंभ किये गये हैं।

सिंगलफेस मोटरपंप आधारित लघु नलजल योजना द्वारा पेयजल व्यवस्था जिला बैतूल

3.4 अनुसूचित जाति उपयोजना :–

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2018–19 में कुल 534 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यक्रम	2016–17	2017–18	2018–19
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	940	677	491
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	105	28	43
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	25	01	–
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	148	163	–
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	116	145	–

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1	ग्रामीण क्षेत्र	6481.16	24622.47	32925.14
2	नगरीय क्षेत्र	9.00	195.50	0.00
	योग :	**6490.16**	**24817.97**	**32925.14**

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण– ग्राम–लुन्हेरा, विकासखण्ड–नालछा, जिला धार

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण– ग्राम–ईसनखेड़ी, विकासखण्ड–महिदपुर, जिला उज्जैन

3.5 स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल योजनाएं:–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.06.2019 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

➢ **स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**5,46,625**
2.	चालू हैंडपम्प	4,95,969
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	50,656
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	40,682
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	6,192
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	3,917

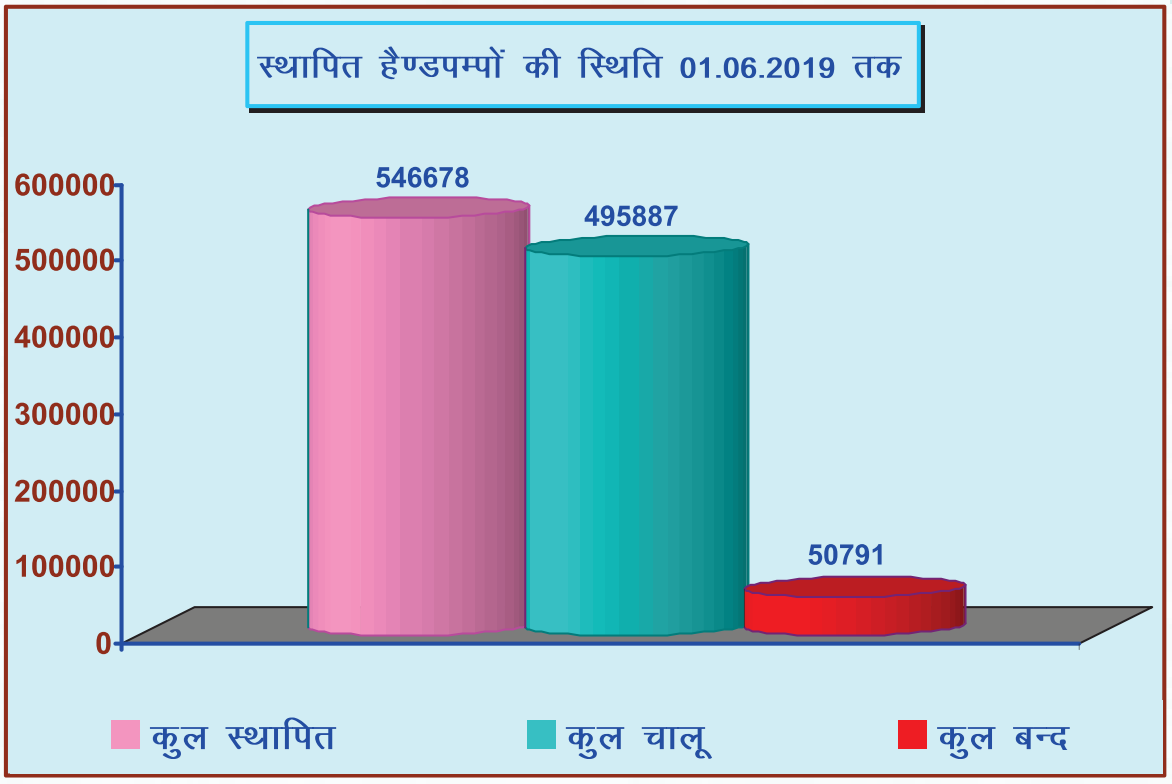

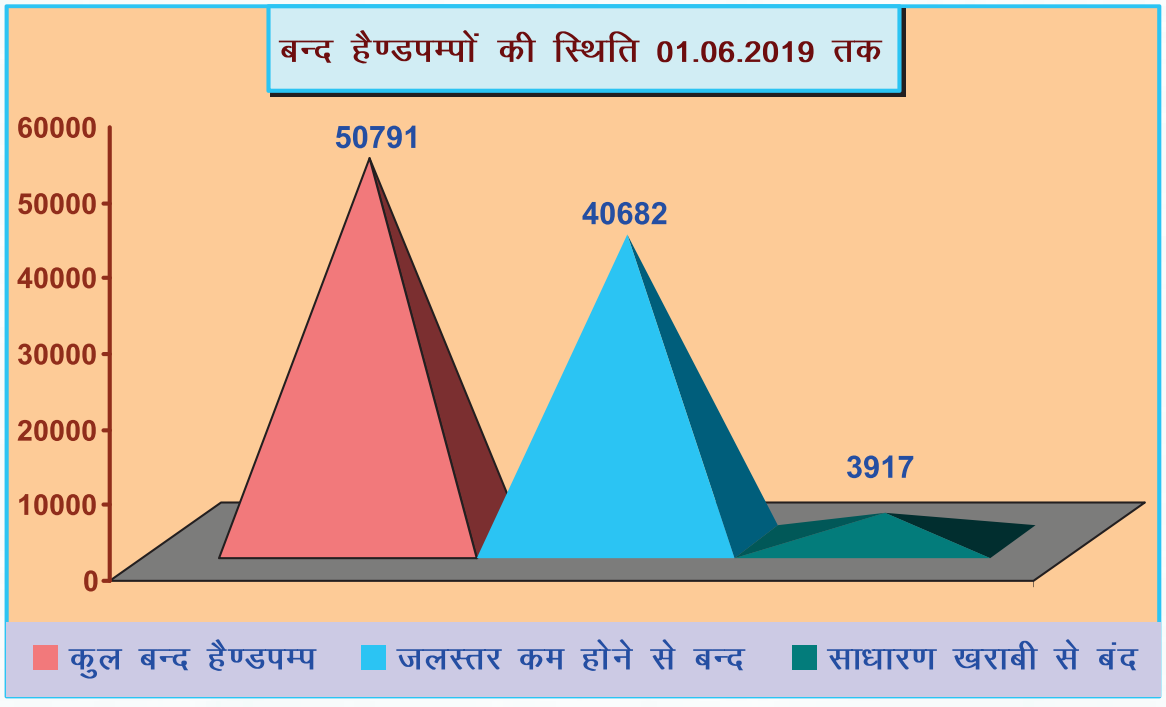

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, आवश्यकतानुसार तकनीकी रूप से संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाने, नलकूपों में हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

➢ **स्थापित नलजल / स्थलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :–**

प्रदेश में दिनांक 01.06.2019 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल स्थापित 15,756 ग्रामीण नलजल / स्थल जलप्रदाय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

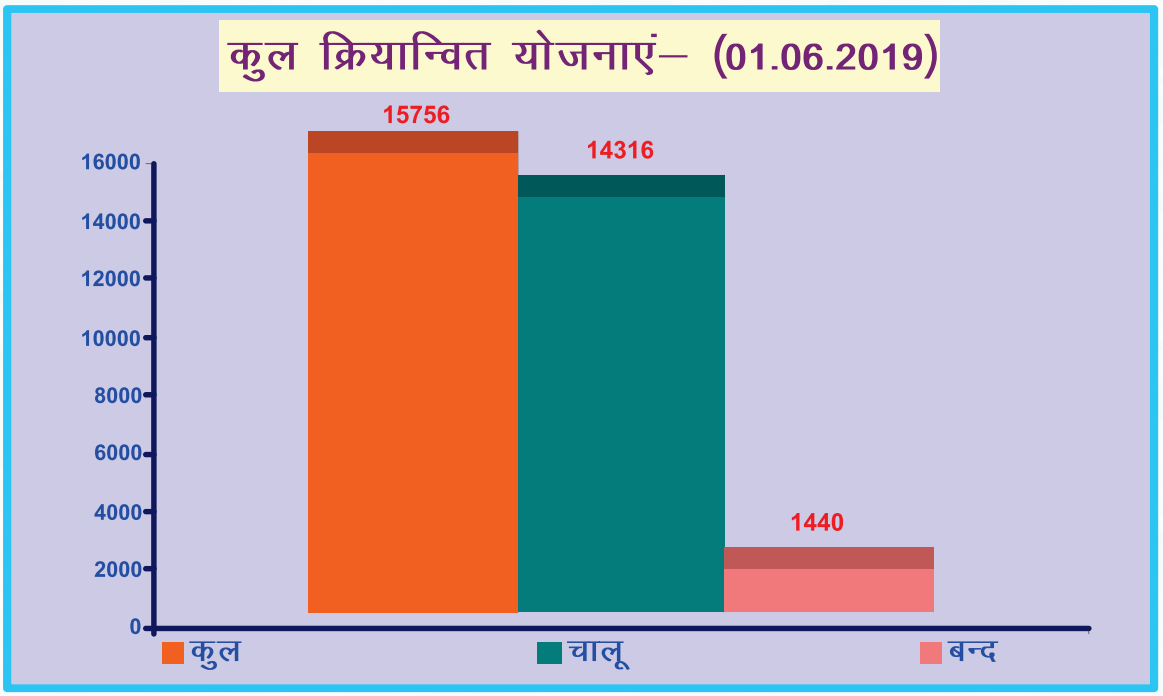

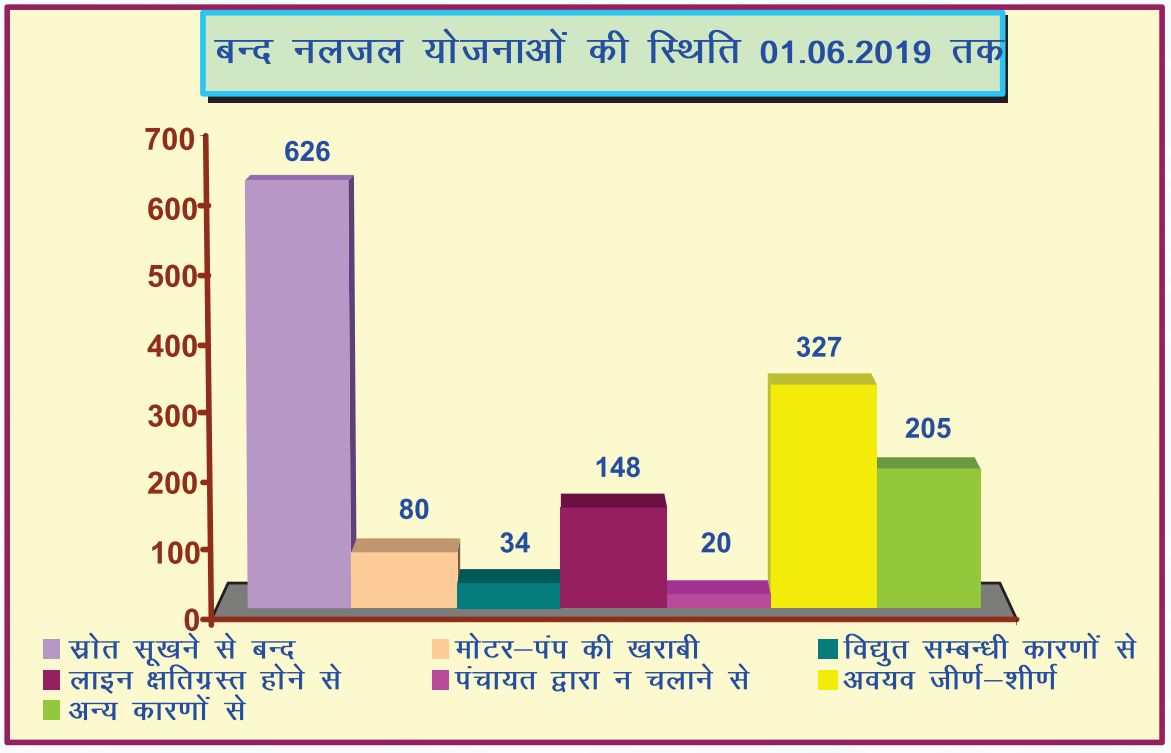

3.6 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :–

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है। इस कार्य हेतु राज्य स्तर से उपखण्ड स्तर तक पेयजल परीक्षण हेतु प्रयोगशालायें स्थापित की गई है।

3.7 लोक सेवा गारंटी

लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005 के अन्तर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सहित जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्य को भी सम्मिलित किया गया है।

3.8 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण:–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में 164 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई थी। प्राथमिकता के आधार पर इन बसाहटों में विभाग द्वारा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं।

3.8.1 फ्लोरोसिस नियंत्रण :–

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में 6 जिलों की 154 बसाहटें फ्लोराईड के अधिक्य से प्रभावित थी जिनमें से 11 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2018–19 में की गई है तथा शेष 143 बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

3.8.2 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :–

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 10 बसाहटों में खारेपन की अधिकता पाई गई है। इन सभी बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3.8.3 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में लौह तत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 1 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश में वर्तमान में लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित बसाहट नहीं है।

3.9 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :–

प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि के रकवे में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा हो रही है। इन कारणों से भू–जल के स्तर में निरंतर गिरावट परिलक्षित हो रही है। भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। गिरते भूजल स्तर एवं भूजल स्त्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा में आ रही कमी को दृष्टिगत रखते हुये भूजल संवर्धन एवं वर्षा जल पुनर्भरण के

कार्य को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में विभाग द्वारा तो किया ही जा रहा है, साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर भूजल संवर्धन एवं वर्षा जल पुनर्भरण की दिशा में अधिक कार्य करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

3.9.1 भूजल की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 24 जिलों के 22 विकास खंड अतिदोहित (Over-exploited), 7 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 44 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
1	बड़वानी	1	पानसेमल			1	राजपुर
2	धार	2	बदनावर			2	तिरला
		3	धार				
		4	नालछा				
3	इंदौर	5	इंदौर			3	महू
		6	सांवेर				
		7	देपालपुर				
4	मंदसौर	8	मंदसौर	1	मल्हारगढ़	4	गरोठ
		9	सीतामऊ	2	भानपुरा		
5	रतलाम	10	जावरा			5	सैलाना
		11	पिपलोदा			6	बाजना
		12	रतलाम				
		13	आलोट				
6	शाजापुर	14	मोमन बड़ोदिया	3	कालापीपल	7	शाजापुर
		15	शुजालपुर				
7	उज्जैन	16	उज्जैन			8	महिदपुर
		17	बड़नगर			9	खाचरौद
		18	घटिया			10	तराना
8	देवास	19	देवास			11	खातेगांव
		20	सोनकच्छ				
9	आगर	21	नलखेड़ा			12	बड़ोद
		22	सुसनेर				
10	सतना					13	रामपुर बघेलान
						14	सोहावल
						15	मैहर
11	भोपाल					16	फंदा
12	बैतूल					17	बैतूल
						18	मुलताई
13	छिन्दवाड़ा					19	छिंदवाड़ा
						20	पांढुरना

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र	अतिदोहित	क्र	दोहित श्रेणी	क्र	अर्द्धदोहित श्रेणी
14	छतरपुर					21	छतरपुर
						22	नौगांव
						23	बक्सवाहा
15	खरगौन					24	खरगौन
16	खंडवा					25	छेगॉव माखन
17	नीमच			4	जावद	26	मनासा
				5	नीमच		
18	सीहोर					27	आष्टा
19	राजगढ़			6	नरसिंहगढ़	28	खिलचीपुर
				7	सारंगपुर	29	ब्यावरा
		-		-		30	जीरापुर
20	शिवपुरी					31	खनियाढाना
						32	नरवर
						33	बदरवास
						34	पिछौर
21	टीकमगढ़					35	बल्देवगढ़
						36	निवाड़ी
						37	टीकमगढ़
						38	पलेरा
						39	जतारा
22	सागर					40	बंडा
23	दमोह					41	पथरिया
						42	बटियागढ
24	रायसेन					43	ओब्दुल्लागंज
						44	सांची

3.9.2 वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन भूजल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। विभाग द्वारा नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजनायें तैयार कर क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।

3.9.3 भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अतिदोहित विकासखण्डों में पेयजल स्रोतों की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत जिला उज्जैन के विकासखण्ड उज्जैन मे नरवर माइक्रो वाटरशेड तथा जिला धार के विकासखण्ड धार में जैतपुरा माइक्रो वाटरशेड में केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से कार्य किये गये हैं।

3.9.4 भूजल संवर्धन कार्य को अधिक प्रभावी बनाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध समस्त संसाधनों/तकनीक यथा एच. जी.एम. मेप, रजिस्टीविटी सर्वे आदि का उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा विगत वर्षो में रिचार्ज शाफ्ट का प्रयोग भूजल संवर्धन कार्य हेतु किया गया जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

3.9.5 प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए निम्नांकित एकीकृत कदम उठाने जाने की आवश्यकता है :–

- सतही वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन एवं पुनर्भरण तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।
- सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजनाओं का निर्माण।
- भूजल पुनर्भरण योजनाओं के अंतर्गत जन सहभागिता से संरचनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव की अनिवार्यता।
- सतही एवं भू–जल स्त्रोतों के अंतर्गत जल सहभागिता से संरचनाओं का निर्माण एवं प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जल नीति तैयार करना।
- सतही जल का अधिकतम उपयोग कृषि एवं औद्योगिक उपयोग हेतु किया जाकर भूजल पर निर्भरता कम करना।
- भूजल स्त्रोतो में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उसके जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिये भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण के कार्य यथा रिचार्ज शाफ्ट, स्टापडेम, डाईक, इत्यादि कार्य कराये जाना आवश्यक हैं।

3.10 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन ठेकेदारों के साथ–साथ विभागीय रिग मशीनों के माध्यम से भी सम्पादित कराया जाता है। विभाग में वर्तमान में कुल 82 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध है, जिनमें 76 डी.टी.एच. रिग, 02 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। नलकूप की जल आवक क्षमता बढाने हेतु 5 हाईड्रोफेक्चरिंग मशीनें एवं नलकूप की जल आवक क्षमता परीक्षण (यील्ड टेस्ट) हेतु 3 यूनिट विभाग में उपलब्ध है।

जिलों की भू–सरंचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पेक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्ष 2018–19 में 04 नवीन काम्बीनेशन मशीनों के क्रय का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इन मशीनों के क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है।

विभागीय मशीनों की क्षमतानुसार एक वर्ष में लगभग 9500 नलकूप खनन किये जा सकते है। वर्ष 2018–19 में विभागीय मशीनों द्वारा कुल 7557 नवीन नलकूपों का खनन किया गया है, जिनमें हैण्डपंप स्थापना, नलजल योजना के स्त्रोत एवं निक्षेप मद आदि के कार्य भी सम्मिलित है। वर्ष 2018–19 में 624 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य हाईड्रोफ्रैक्चरिंग मशीनों द्वारा, 1506 नलकूपों की सफाई का कार्य एवं नलजल योजना हेतु निर्मित 287 नलकूपों का यील्ड टेस्ट विभागीय मशीनों द्वारा किया गया है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मशीनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प आधारित पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मशीनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प आधारित पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन

- विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत तीन वर्षो में किये गए कार्यो की प्रगति :–

वर्ष	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूपों की संख्या
2016-17	6696	5896
2017-18	9503	8397
2018-19	7557	6524

- वर्ष 2018–19 तक शासन द्वारा अनुपयोगी मशीनों एवं संयंत्रों हेतु गठित अपलेखन समिति द्वारा 60 मशीनों का अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई थी, जिनमें से 46 मशीनों का अपलेखन किया जाकर रू. 100.46 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है तथा शेष 14 मशीनों की अपलेखन कार्यवाही प्रगतिरत है। इन 14 मशीनों के अपलेखन से रू. 23.11 लाख का राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

- **विशेष उपलब्धि :–**

पंचायत राज संचालनालय , मध्यप्रदेश ने शासकीय विद्यालयों के उन्नयन हेतु पेयजल की व्यवस्था के संबंध में हैण्डपम्प खनन/स्थापना हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 2776 पेयजल व्यवस्था विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की सूची मय प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें 1699 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में नलकूप खनन कार्य किया जाकर शालाओं में पेयजल उपलब्ध करवाया गया है।

- **विभागीय वाहनों की जानकारी :–**

  विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 21 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

3.11 राज्य जल सहायता संगठन :–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम''** के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में **''राज्य पेयजल मिशन''** के अंतर्गत **''जल सहायता संगठन''** कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ. राज्य स्तर			
1.	संचालक, जल सहायता संगठन	1 पद	1 पद
2	अधीक्षण यंत्री (राज्य समन्वयक) एक पद	1 पद	–
3	कार्यपालन यंत्री	1 पद	1 पद
4	सहायक यंत्री	1 पद	1 पद
5	उपयंत्री	1 पद	1 पद
6	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	–
7.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1 पद	1 पद
8.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	–
9.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
10.	लेखापाल	1 पद	–
11	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
ब. जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	33 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	39 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50 पद	19 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	15 पद
स. विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	238 पद
	कुल पद	**520 पद**	**348 पद**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसी (State Technical Agency) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.),

भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल, श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

3.11.1 सहायक गतिविधियॉं :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा सहायक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है, इसके अन्तर्गत जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **मानव संसाधन विकास गतिविधियां** : मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन–जिला भोपाल

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड टेस्ट किट द्वारा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के प्रशिक्षण का आयोजन– जिला मन्दसौर

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जनवरी 2015 के अनुसार पेयजल उप समिति के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2018–19 में संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रशिक्षण	106
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	238
3.	विभागीय अभियंताओं/कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	13940
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	138090
5.	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला/पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	11750

- **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक

समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	96
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	579
3	मेला/प्रदर्शनी आयोजन	397
4	आई.ई.सी.वेन/रथ	436
5	होर्डिंग/बैनर/पोस्टर्स	2536
6	दीवार लेखन	8561
7	रेडियो/केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	1440
8	ग्राम सभा/ग्रुप मीटिंग	7263
9	स्कूल रैली/वाद–विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	3186
10	चलचित्र प्रसारण	2450
11	आई.ई.सी./गृह भेंट	11750
12	नुक्कड़ नाटक/गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	2485
13	पी.आर.ए.	2264
14	उद्घोषणा (पी.ए.सिस्टम द्वारा)	25801
15	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (V.W.S.C.) का गठन	6134
16	घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या	562932

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नलजल योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों/स्कूली छात्र–छात्राओं को शुद्ध पेयजल एवं रखरखाव के विषय में जागरूक किया गया–विकासखण्ड फंदा जिला भोपाल

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए **अभिरूचि की अभिव्यक्ति** आमंत्रित कर राज्य स्तर से गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति में कुल 67 गैर सरकारी संस्थाए (एन.जी.ओ.) पंजीबद्ध हैं।

- **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :–**

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.नक्शों) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

3.11.2 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :–

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का पांच प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 104 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं।

भारत सरकार के जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रयोगशाला में आयन मीटर द्वारा फ्लोराइड एवं नाइट्रेट का पेयजल परीक्षण कार्य – जिला प्रयोगशाला शाजापुर

भारत सरकार के जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रयोगशाला में रसायनज्ञ द्वारा पेयजल नमूनों का नियमित पेयजल परीक्षण कार्य – जिला प्रयोगशाला शाजापुर

- जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में 300 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 183600 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में 200 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 249600 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य वर्ष 2018–19 में निर्धारित है। जिसके विरूद्व जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 172141 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 257620 पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं –

  1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. आर्सेनिक, 4. हार्डनेस, 5. क्लोराइड, 6. क्षारीयता, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. मैंगनीज, 13. कॉलीफार्म एवं 14. ई–कोलाई परीक्षण।

  फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष 2018–19 में 495718 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।

जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु विशेष अभियान के तहत् फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से स्कूल के छात्र–छात्राओं को जल परीक्षण का प्रशिक्षण– ग्रामीण शाला, जिला बालाघाट

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

- वर्ष 2018–19 में 17396 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली।

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल व जिला प्रयोगशाला रतलाम का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण हो चुका है। शेष 12 जिला प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि आयोजित किए जा रहे है। ये जिले सीहोर, बैतूल, धार, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, छतरपुर, छिंदवाडा, नरसिंहपुर व शाजापुर है।

जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु विशेष अभियान के तहत् फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से स्कूल के छात्र–छात्राओं को जल परीक्षण का प्रशिक्षण– ग्रामीण शाला, ग्राम आवर, जिला आगर

एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, श्यामला हिल्स भोपाल

3.12 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख–रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्षता उपलब्ध कराने के उददेश्य से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जाता है। प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2017–18 में कुल 271 एवं वर्ष 2018–19 में कुल– 477 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

संस्था का नाम	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		कुल	
	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.नई दिल्ली	05	25	–	–	05	25
प्रशासन अकादमी भोपाल	14	111	14	318	28	429
इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद	01	02	02	04	03	06
केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भोपाल	01	33	–	–	01	33
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल	02	65	–	–	02	65
आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल	01	35	02	23	03	58
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल	–	–	01	09	01	09
उद्यमिता विकास केद्र (सेडमैप) भोपाल	–	–	02	110	02	110
पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ, भोपाल	–	–	02	13	02	13

अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण के मुख्य विषय निम्नानुसार है :–

1. कार्यालयीन प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय प्रबंधन, निविदा प्रबंधन, अनुपयोगी सामाग्री का अपलेखन, जी.आई.एस रिमोट सेंसिंग आधारित योजना तथा नवनियुक्त सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों का मूलभूत परिचयात्मक प्रशिक्षण– प्रशासन अकादमी।
2. IT enable applications in Water Supply & Sewage Projects and Contact Management at E.S.C.I. Hyderabad
3. आपदा प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन (लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए) तथा संसदीय/विधानसभा कार्य से संबंधित प्रशिक्षण।

3.13 विभागीय कम्प्यूटरीकरण :–

विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की सतत निगरानी तथा समीक्षा हेतु निरंतर नये प्रयास, नये साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। विभाग में भारत शासन तथा राज्य शासन एवं विभाग के विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकी है। इस हेतु विभाग द्वारा विभिन्न स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण तथा उसके आधुनिकीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय–समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय भी किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

- **प्रमुख अभियंता कार्यालय**

  प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक (जल सहायता संगठन) एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संकलन, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के आदान–प्रदान एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा, मानव संसाधन से संबंधित कार्य का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय**

  विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्पयूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- **मंडल कार्यालय**

  विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं।

- **खण्ड कार्यालय**

  कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोगशालाओं हेतु भी कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के

यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं।

- **उपखण्ड कार्यालय**

  विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- **राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला**

  राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन साफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- **विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

3.13.1 सूचना प्रौद्योगिकी :–

- **विभागीय वेबसाइट**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट www.mpphed.gov.in पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई हैं :–

  - विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
  - विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
  - सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी, विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
  - विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
  - तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।

- अधिकारियों / कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
- विभागीय फोरम।
- विभागीय उत्कृष्ठ कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार–प्रसार सामग्री।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था ईमेल के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
- विभाग में लागू दर–अनुसूचियॉ (SOR)

- **ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया**

शासन के निर्देशानुसार विभाग में समस्त निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित सेवा प्रदायकर्ता के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से ई–टेण्डरिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

3.14 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :–

3.14.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :–

वर्तमान में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोडकर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित– संधारित की जा रही हैं ।

3.14.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :–

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अवयवों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

3.14.3 निक्षेप मद में विभाग द्वारा क्रियान्वित नगरीय योजनाऐं :–

सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजना निक्षेप मद में विभाग द्वारा, लागत रुपये 1035.00 लाख की क्रियान्वित की जा रही है। योजना का कार्य प्रगति पर है।

3.14.4 राष्ट्रीय नदी / झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 2 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 9820.00 लाख है, योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	लागत रूपये लाख में
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना, जिला शिवपुरी	9200.00
2	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना, जिला सतना	620.00

4. भाग–चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1.1 न्यायालयीन प्रकरण :–

दिनांक 31.03.2019 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक	न्यायालय	31.03.2019 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	54
2	माननीय उच्च न्यायालय	1147
3	माननीय माध्यस्थ अभिकरण	07
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	52
5	माननीय दावा अभिकरण	00
6	माननीय जिला न्यायालय	178
7	माननीय श्रम न्यायालय	341
	कुल योग	**1779**

4.1.2 स्थानान्तरण प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण
प्रथम श्रेणी	24
द्वितीय श्रेणी	45
तृतीय श्रेणी	228

4.1.3 विभागीय पदोन्नतियां :–

वर्ष 2018–19 में 01 सहायक यंत्री (सिविल) एवं एक सहायक यंत्री (मैके.) के पद पर पदोन्नति दी गई है।

4.1.4 विभागीय जॉच प्रकरण :–

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

- प्रथम श्रेणी के 45 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 06 विभागीय जांच प्रकरणों में 08 अधिकारियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 52 विभागीय जांच प्रकरणों में 37 अधिकारियों पर विभागीय जांच प्रचलित है)।
- द्वितीय श्रेणी के 44 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 02 विभागीय जॉच प्रकरण में 09 अधिकारी पर तथा विभाग स्तर पर संस्थित 17 विभागीय जांच प्रकरणों में 35 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है)।

- तृतीय श्रेणी के 111 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 04 विभागीय जांच में 35 उपयंत्रियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 23 विभागीय जॉच प्रकरणों में 76 अधिकारियों पर विभागीय जॉच चल रही है)।
- विभाग के 03 कार्यपालन यंत्री, (अभियोजन में), 08 उपयंत्री एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी (07 अभियोजन में तथा 01 विभागीय प्रकरण में) निलम्बित हैं।

4.1.5 नियुक्तियॉ :–

वर्ष 2018–19 में सीधी भर्ती के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 08 सहायक यंत्री (सिविल), 05 सहायक यंत्री (मैकेनिकल) एवं प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित 81 उपयंत्री (सिविल) एवं 24 उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) की नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4.2 सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	अवर सचिव (स्था.) अवर सचिव (तक.)	– –	उप सचिव (तक.) उप सचिव (स्था.)
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
3. परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित सहायक यंत्री)	परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
4. मंडल कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री (सम्बन्धित खंड कार्यालय में पदस्थ)

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 1319 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1242 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 77 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

4.3 वर्ष 2018–19 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरणः–

वर्ष 2018–19 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	विधान सभा सत्र फरवरी–मार्च 2018		विधान सभा सत्र जून 2018	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	226	226	60	60
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	08	08	0	0
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	19	19	4	4
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0

5. भाग – पाँच

अभिनव योजनायें :–

5.1 मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

विगत वर्षों से भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु धनराशि में कमी की गई है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा किये जा रहे पेयजल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये **"राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"** प्रारम्भ किया गया है जिसका शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन किया जाता है ताकि समुचित पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य किये जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन नलजल योजना, नवीन हैण्डपंप स्थापना सहित समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण भी किया जा रहा है।

5.2 मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 से **''मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना''** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नलजल योजना घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से उपलब्ध कराये जा रहे है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

कुल स्वीकृत योजनायें		कार्य प्रारंभ		कार्य पूर्ण	शेष प्रगतिरत
संख्या	लागत	संख्या	लागत		
1467	1433.43	942	931.52	396	546

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा निर्मित उच्च स्तरीय टंकी– ग्राम नापाखेड़ा, विकासखण्ड मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा निर्मित उच्च स्तरीय टंकी– ग्राम पायाखेड़ी, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मन्दसौर

5.3 स्वजल कार्यक्रम (समुदाय आधारित पेयजल योजना)

- ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से फरवरी 2018 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वजल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- स्वजल कार्यक्रम को मांग के आधार पर (Community Driven) क्रियान्वित किया जाएगा। इसे मध्यप्रदेश के 8 आकांछी जिलों यथा– बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा के कुल 50 विकासखण्डों में क्रियान्वियत किया जाना है।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं संचालन संधारण ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण समुदाय व राज्य शासन के साथ मिलकर किया जाएगा।
- ग्रामीण समुदाय की भागीदारी योजना के निर्माण से लेकर संचालन संधारण तक सुनिश्चित की जाएगी।
- स्त्रोत के स्थायित्व के लिए वर्षा जल के संग्रहण एवं भूजल पुर्नभरण के कार्य भी साथ ही किए जाएंगे।
- कार्यक्रम के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन व ग्राम पंचायत की वित्तीय भागीदारी 45:45:10 के अनुपात में रहेगी। योजना निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि हेतु अंशदान विधायक निधि, सांसद निधि, माइनिंग राशि, सी.एस.आर. निधि अथवा ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध 14 वें वित आयोग की राशि से किया जा सकेगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के फ्लेक्सी फण्ड का उपयोग किया जा सकेगा।

  ग्राम के चयन के आधार निम्नानुसार होंगे :–

  1. सामुदायिक भागीदारी पर आधारित हो।
  2. लघु नलजल योजना यथा संभव सोलर पद्धति पर आधारित हो।
  3. ग्राम पूर्व से ही ओ.डी.एफ. श्रेणी का हो तो उपयुक्त रहेगा
  4. ग्राम में पूर्व से कोई नलजल योजना क्रियान्वित न की गई हो।
  5. ग्राम/बसाहट में न्यूनतम 10 परिवार हों।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजगढ़ जिले को छोडकर शेष 7 जिलों के कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :–

- चयनित बसाहटों की संख्या 387
- बसाहटों की संख्या जहां प्रचार–प्रसार कार्य किए गए –287
- बसाहटों की संख्या जहां स्वजल कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए संकल्प प्राप्त किए गए – 282
- बसाहटों की संख्या जहां ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति बनाई गई –220
- बसाहटों की संख्या जहां ग्राम पंचायतों की संख्या जिनके 10 प्रतिशत मूल लागत के बैंक खाते खोले गए –47
- बसाहटों की संख्या जिनकी मुख्य अभियंता द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी – 131
- बसाहटों की संख्या जिनकी निविदा आमंत्रित की गई – 49
- बसाहटों की संख्या जिनका संचालन संधारण हेतु बैंक खाता खोला गया–17
- निर्मित डी.पी.आर. की संख्या – 291
- डी.पी.आर की अनुमानित लागत रूपये 7150.04 लाख।

5.4 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (आम–जन की समस्याओं का निराकरण)

आमजन की समस्यों के त्वरित निराकरण हेतु **मुख्यमंत्री हेल्पलाइन** शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत विभाग की योजनाओं/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती है। शिकायतों का निराकरण निर्धारित समयावधि में कराये जाने का कार्य विभाग द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है। वर्ष 2018–19 में विभाग को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 1,23,089 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 97,714 शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण कराया जा चुका है।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी विभागों की मासिक ग्रेड़िग में सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत विभाग वर्ष 2018–19 में लगातार "ए" ग्रेड प्राप्त किया है।

6. भाग – छः

6 विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी :–

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा उसके लाभ, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला एवं उपखण्ड स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है।

7. भाग – सात

7.1 सारांश :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसमें प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राज्य शासन द्वारा सभी ग्रामों/बसाहटों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 500 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है। ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल के भूजल स्त्रोतों के संवर्धन एवं वर्षा जल से पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में उपखण्ड स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018–19

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149 / 2012 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम की अंशपूंजी रु. 100.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही जल स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
7.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	–	संचालक
9.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
10.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
11.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	–	संचालक
12.	भारसाधक सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	–	संचालक
13.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम के अतंर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, दमोह एवं जबलपुर में स्थापित की गई हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	परियोजना निदेशक (प्रमुख अभियंता)	1
3	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	2
4	महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री)	17
5	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
6	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
7	प्रबंधक (जन सहभागिता)	12
8	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	12
9	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	29
10	उपप्रबंधक (उपयंत्री)	53
11	कम्पनी सेक्रेटरी	1
12	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
13	आई.टी.एक्सपर्ट	1
14	तकनीकी कंसलटेंट	1
15	मैनेजर लेखा	1

1.4 निगम के उद्देश्य एवं कार्य :–

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्ध कराना।
- शहरी/ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले मल जल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं मल जल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2. भाग – दो

2.1 विभागीय बजट वर्ष 2018–19

राशि की उपलब्धता

- कम्पनी की अंशपूंजी राशि रू. 100.00 करोड़ है।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण

1. **ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि** – (RIDF-XIX) अंतर्गत 17 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रु. 983.33 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 835.80 करोड़ एवं राज्यांश रू. 147.53 करोड़ है।
2. **ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि** – (RIDF-XXII) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 352.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 292.64 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 59.51 करोड़ है।
3. **आर.आई.डी.एफ** – (XXIV) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 03 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रु. 788.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 595.62 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 192.59 करोड़ है।
4. वर्ष 2018–19 में नाबार्ड अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31 मार्च 2019 तक राशि रू. 1338.93 करोड़ का व्यय हुआ।

2.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि :–

वर्ष 2018–19 में खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31 मार्च 2019 तक राशि रु. 695.42 करोड़ का व्यय हुआ।

2.4 भारत सरकार के पत्र क्रमांक क्यू–11050/20/2013–एग्री, दिनांक 20.09.2013 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के लिये बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु रू. 252.47 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2018–19 में राशि रू. 29.99 करोड़ प्राप्त हुई है।

3. भाग – तीन

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं का चयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 24 योजनाओं में 13 पूर्ण एवं 11 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जल प्रदाय प्रारंभ किया गया है।

3.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/राज्य मद अंतर्गत 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.5 बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजना अन्तर्गत न्यू डेव्लपमेन्ट बैंक से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.6 जिला माईनिंग अंतर्गत 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.7 उपरोक्तानुसार 58 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत है जिनमें से 17 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर 751 ग्रामों में 1014 हजार ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है एवं 41 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.8 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाऐं निविदा लागत रु. 206.96 करोड़ का क्रियान्वयन किया गया है। उक्त तीनों योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जलप्रदाय प्रारंभ किया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 114 ग्रामों की 2 लाख 11 हजार से अधिक जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।

3.9 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अतंर्गत जापान इंटरनेशल कॉपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राशि रू. 3000.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जापान सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति उपरांत परियोजना प्रस्ताव के परीक्षण हेतु कंसलटेंट टीम नियुक्त कर दी गई है प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

3.10 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजना अन्तर्गत न्यू डेव्लपमेन्ट बैंक से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत राशि रू. 4512.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन उपरांत 3467 ग्रामों की लगभग 33 लाख 51 हजार ग्रामीण आबादी लाभांवित हो सकेगी।

उदयपुरा समूह जलप्रदाय योजना, जिला रायसेन

उदयपुरा समूह जलप्रदाय योजना, जिला रायसेन

घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल प्रदाय, मरदानपुर समूह जलप्रदाय योजना जिला सीहोर

घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल प्रदाय, मरदानपुर समूह जलप्रदाय योजना, जिला सीहोर

घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल प्रदाय, झुरकी समूह जलप्रदाय योजना, जिला सिवनी

4. भाग – चार

4.1 प्रचार–प्रसार गतिविधियॉं:

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

- क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के ग्रामों में ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम–2015'' के अनुसार पेयजल उपसमितियों का गठन किया जा रहा है।

Welcome
Workshop on "Right to Water"

राज्य स्तरीय कार्यशाला

लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश